

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ  
पीठासीन अधिकारी श्री विकास पंचोली (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 44/2020

अनवान

1. श्री रूपा बैरवा आत्मज श्री रतना बैरवा निवासी शिवपुरा तह हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थी

बनाम

1. श्री रूपा पुत्र श्री घीसा बैरवा निवासी शिवपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।  
2. श्रीमती गुलाबी पत्नी श्री रूपा बैरवा निवासी शिवपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा  
3. श्री नारायण पुत्र श्री रूपा बैरवा निवासी शिवपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।  
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 19.11.2020

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 26.06.2020 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम जवासिया पटवार हल्का दूडिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 221 की आ.न. 849 रकबा 0.0126 है0, आ.न. 850 रकबा 0.0253 है0, आ.न. 856 रकबा 0.0885 है0 आ. न. 857 रकबा 0.0506 है0कुल किता 04 रकबा 0.1770 है0 एवं खाता संख्या 220 की आ.न. 858 रकबा 0.1012 है0 भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडौसी है प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 03.07.2020 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 से लगायत 03 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नहीं है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम जवासिया पटवार हल्का दूडिया भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र बरडौद तहसील हमीरगढ में उसके खाते की कृषि भूमि की खाता संख्या 221 की आ.न. 849 रकबा 0.0126 है0, आ.न. 850 रकबा 0.0253 है0, आ.न. 856 रकबा 0.0885 है0 आ.न. 857 रकबा 0.0506 है0कुल किता 04 रकबा 0.1770 है0 एवं खाता संख्या 220 की आ. न. 858 रकबा 0.1012 है0 भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 300/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/-रु0 की नियमानुसार अदसयगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 19.11.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फेसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहे।



(विकास पंचोली)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ